मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 142/2023

धर्मपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

बनाम

1. रामेश्वरी पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट साकिन नुकेरां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

– – प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 49 आर.टी.ए. बाबत घोषणा, विनिमय

निर्णय दिनांक :– 09/10/2025

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 49 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर विनिमय किया जाता है:–

क. वादी धर्मपाल :–

चक	प.नं.	किला	तादादी
3 एलकेएस	19/281	18, 19, 22 ता 24	1.265 हैक.,
	19/282	2 ता 5	1.012 हैक.
	19/281	2/1, 21/2	0.076 हैक.

प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

ख. प्रतिवादी सं. 1 रमेश्वरी :–

चक 2 पीटीपी के खाता सं. 54 के प.नं. 148/133 के किला नं. 6, 11 ता 18, 25, प.नं. 149/133 के किला नं. 11/1, 19 ता 22 कुल तादादी 3.022 हैक. मे से 1/2 हिस्सा व खाता सं. 72 के प.नं. 149/133 के किला नं. 11/2, 12/1, 18, 23 कुल 0.759 हैक. मे से 2/6 हिस्सा

वादी का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा / संगरिया को [illegible] किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पाय[illegible] तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अ[illegible] होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म ;यथा नहरी / [illegible] / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:32:57 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 09/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:32:57 IST
Reason: SelfAttested